

(8)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 282/2022

संकेत पुत्र बाबूलाल, नियर गायत्री मन्दिर, वार्ड नं0 19, स्टेशन रोड, झुंझुनूं, पिन कोड 333001, मो0न0 9413076120
बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।


सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 01.09.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 10.08.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 282/2022 पर दिनांक 10.08.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/4357-58 दिनांक 10.08.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/22/1120 दिनांक 23.08.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी संकेत पुत्र बाबूलाल, नियर गायत्री मन्दिर, वार्ड नं0 19, स्टेशन रोड, झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे आरटीआई पोर्टल पर दिनांक 12.07.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16 (4)(5) न्याय/सू0अ0/09/290 दिनांक 19.07.2022 के द्वारा तहसीलदार चिडावा को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र भिजवाया गया है। तहसीलदार चिडावा ने अपने पत्र क्रमांक 1646 दिनांक 18.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/22/1120 दिनांक 23.08.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी संकेत पुत्र बाबूलाल, नियर गायत्री मन्दिर, वार्ड नं0 19, स्टेशन रोड, झुंझुनूं का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे आरटीआई पोर्टल पर दिनांक 12.07.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16 (4)(5) न्याय/सू0अ0/09/290 दिनांक 19.07.2022 के द्वारा तहसीलदार चिडावा को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र भिजवाया गया है। तहसीलदार चिडावा ने अपने पत्र क्रमांक 1646 दिनांक 18.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 01.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर झुंझुनूं
